

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE, DONDI LOHARA

शासकीय एकलव्य महाविद्यालय





Date: 18.1.2022

Ref.: DVV clarification for Extended Profile: 2.2

Sub.: Response to DVV clarification for Extended Profile: 2.2

Government Eklavya College hereby submit, number of seats reserved for each program and total seats admitted in reserved category year wise, 2016-2017,2017-2018,2018-2019,2019-2020,2020-2021, duly attested by Principal of College. Letter from Higher Education Department of Chhattisgarh Government for reservation policy is hereby enclosed.



Principal Govt. Eklavya Collage DondiLohara, Distt. Balod (C.G.)



Government Eklavya College, Dondi Lohara

Dalli Rajhara Raod, District-Balod, C.G India, 491771 Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg, C.G

Number of students admitted from the reserved category

	B.A. Part I Number of students admitted from the reserved category							
Year								
	SC	ST	ОВС	Divyangjan	Gen	Others		
2016-17	17	91	91	0	1			
2017-18	15	114	71	0	0			
2018-19	10	121	67	0	2			
2019-20	20	114	60	0	6			
2020-21	10	108	71	0	11			

	B.SC. Part I								
Year	Number of students admitted from the reserved category								
	SC	SC ST OBC Divyangjan		Gen	Others				
2016-17	5	47	44	0	4				
2017-18	13	43	50	0	1				
2018-19	8	52	55	0	5				
2019-20	8	48	50	0	3				
2020-21	11	56	45	0	2				

	B.Com. Part I								
Year	Number of students admitted from the reserved category								
	SC	ST	ОВС	Divyangjan Gen		Others			
2016-17	0	19	11	0	9				
2017-18	2	11	10	0	2				
2018-19	7	30	9	0	3				
2019-20	3	25	11	0	4				
2020-21	1	22	17	0	3				

	M.A. HINDI LITERATURE - PRE								
Year	Number of students admitted from the reserved category								
	SC	SC ST OBC Div		Divyangjan	Gen	Others			
2016-17	0	12	6	0	1				
2017-18	2	8	6	0	0				
2018-19	1	17	7	0	1				
2019-20	1	17	7	0	2	-			
2020-21	2	13	14	0	0				



Government Eklavya College, Dondi Lohara

Dalli Rajhara Raod, District-Balod, C.G India, 491771 Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg, C.G

	M.A. ECONOMICS - PRE										
Year	Nu	Number of students admitted from the reserved category									
	SC	ST	ST OBC Divyangjar		Gen	Others					
2016-17	4	2	0	0	1						
2017-18	0	9	6	0	0						
2018-19	0	11	6	0	1						
2019-20	0	10	8	0	0						
2020-21	0	2	5	0	0						

	M.A. HISTORY - PRE										
Year	Nu	Number of students admitted from the reserved category									
	SC	ST	ОВС								
2016-17	0	0	2	0	0						
2017-18	0	2	1	0	0						
2018-19	0	7	4	0	0						
2019-20	0	5	3	0	1						
2020-21	0	2	0	0	2						

	M.A. POLITICAL SCIENCE - PRE							
Year	Number of students admitted from the reserved category							
	SC	SC ST OBC Divyangjan		Divyangjan	Gen	Others		
2016-17	0	2	2	0	0			
2017-18	2	16	5	0	2			
2018-19	2	14	7	0	2			
2019-20	0	16	9	0	0			
2020-21	0	22	3	0	0			



Principal
Govt.Eklavya Collage
DondiLohara,Distt.Balod (C.G.)



Government Eklavya College, Dondi Lohara

Dalli Rajhara Raod, District-Balod, C.G India, 491771 Affiliated to Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg, C.G

GOVERNMENT EKLAVYA COLLEGE, DONDI LOHARA, DISTRICT BALOD, C.G, 491771

2.1.2 Average percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, (Others:Freedom fighters,PH) etc. as per applicable reservation policy during the last five years

V		category as per GOI or State Government					Number of students admitted in reserved category				
Year	SC 12%	ST 32%	OBC 14%	Others6%	Gen 36%	SC	ST	ОВС	Others	Gen	Students admitted in First year
2016-2017 Intake- 470	56	150	66	28	170	26	173	156	0	16	371
2017-2018 Intake- 500	60	160	70	30	180	34	203	149	2	5	393
2018-2019 Intake- 500	60	160	70	30	180	28	252	155	0	14	449
2019-2020 Intake- 500	60	160	70	30	180	32	235	154	0	16	437
2020-2021 Intake- 500	60	160	70	30	180	24	235	155	0	18	432



Principal
Govt.Eklavya Collage
DondiLohara, Distt.Balod (C.G.)



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

--00---

कमांक उरे2/14)आवशि/सम/2020

नवा रायपुर अटल नगर विनाव07/8/20

- कुलसंचिव समस्तं विश्वविद्यालय, फलीसगढ
- प्राथार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ

विषय :-संदर्ग :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सन्न 2020-21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत। अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.06.2020।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख हैं, कि छ ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग वो संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020–21 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ सनस्त शासकीय/अशासकीय महानिद्यालयों को पत्र की काराग्राति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2020-21 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन रालम्न -उपरोक्तानसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.एच.एस.कर) अपर रांचालक उच्च शिक्षा संचालनालय

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक .0.7///

पृक्रमांक 573/149 आवशि / सम / 2020 प्रतिनिधिः

- अवर सचिव, छ ग शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को संवर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ,
- वीत्रीय अपर संवालक, बोळीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासंपुर/जगदलपुर/ अविकापुर/तुर्ग की ओर सूधनार्थ।

all

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



200

Govt. Phlavya Collage

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग भंत्रालयः

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (D)

----00------

कर्मिक एफ 17-95/2017/38-2 नता रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 9.9- ६ ६ - २.६.२ ०

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषय:-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020−21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भ-

30

आपका ज्ञापन कमांक 416/149/आउशि/सम/2020 दिनांक 26.05.

2020

----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सन्न 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्वेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(रविनद्र-कुमार मेदेकर) (रविनद्र-कुमार मेदेकर)

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक प्रतिलिपि:-

 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की और सूचनार्थ अग्रेपित।

गार्ड फाईल।

अवर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

सि-मि(मि)

P. 4. 217/200

26



Principal Govt.Eklavya Collage DondiLohara.Diett.Balod (C.G.)

174

छत्तीसगढ शासन चच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शसिकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा रनातकोलार कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020-21

- ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ प्रयुक्ति :-विस्वविद्यालय अधिनियम—1973 के तहल अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपदित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- पर्वण के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय रनातक कथा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा रनातकोत्तर 132 कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
 - प्रवेश की तिथि :-
 - प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :--

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे, उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

- (क) अपरिहार्य कारणों से यदि 'ऑफलाईन' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्घारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
- (ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था कं संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा शक्य ।
- प्रवेश हेतु अंतिम तिथि-निर्धारित करना :--22

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी । अरीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी किंडिका 5.1 (क)



में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके प्ञ-पुनिशों को रखान रिक्त होने पर ही सब के दीसन प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थित में ही प्रवेश हिया जायेगा।

राष्ट्रीकरण — ज्ञानं के बाद आवेदक (छ) के महादिधालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश किया था। उसके वाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महादिधालय में अब वह प्रदेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होंने पर ही उसे प्रवेश दिया किसी महादिधालय में अब वह प्रदेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होंने पर ही उसे प्रवेश दिया नियंगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यस्त थे, किसी भी नियंगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यस्त थे, किसी भी नियंगा। अवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान महादियालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान विशंगित अंतिम (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए नियंगित अंतिम (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, विया जा सकता।

- पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की आंतिम तिथि निर्धारित करना :विधि संकाय के अतिरिवत अन्य संकार्यों के पुनर्मृत्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को
 पुनर्मृत्यांकन / युनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के
 कुलपित की अनुमित के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होनी। किन्तु विधि
 सकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में
 सकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में
 स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वी कक्षा में पुनर्मृत्योंकन / पुनर्गणना मं
 उत्तीर्ण छात्र—छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - उ. प्रवेश संख्या का निर्धारण :प्रवेश संख्या का निर्धारण :प्रविशासयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविशालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की चृद्धि चाहते हैं तो ये 30 अप्रैल तक अपना प्रश्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
 - उट्ट विधि एनातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार काँसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन (अधिकतम 4 सेवशन) में प्रयेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
 - 33 राम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समृह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय / विषय समृह के निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

0.100

Principal
Govt.Eklavya Collage
Dondil.ohara.Distr.Balod (C.G.)

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिमार देय है, वहां अधिमार देकर कुल प्राप्ताको की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई

परोश समिति द्वारा आवश्यक सलग्म प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानतिरण प्रमाण-पञ्च की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश... शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानातरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे श्द्द करना चाहिये।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश को पश्चात् रथानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त

4. घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेंतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से दसूना जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं

नस्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। रथानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ आई आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रयेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से क्वन पत्र लिया जाये।

महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे ग्रोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफें में बन्द कर उस महादिद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

47 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय नहाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं की शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए |

प्रवेश की पात्रता :-

्रेक्ट) छल्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपल्तिधारी निवासी/राज्य या<u>केन</u>्द्र भरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्घशासकीय क्रिमेंबर्फी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कं क्रिक्तित व्यावसाधिक संगठनों के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको लथा भारत राष्ट्रि /प्तियों एवं जम्म कार्रिश कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ मे Dondi Lohara, Diett, Balod (C.G.)

विरथापितों तथा उनके आश्रितों को <u>ही शास</u>कीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। अपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकन के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

'सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सन्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता 🗸 विश्वविद्यालय / बीर्ड से अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

 शिवश्यकतान्सार संबंधित विश्वविद्याख्य से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

५ स्नातक स्तर नियमित प्रवेश :-

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होंगी ऑकन्तु वाणिज्य और कला संकार के आवेदकों को विज्ञान संकार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा (बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी सकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम् से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कहा। संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। प्रश्त यदि अभ्यार्थी ने गाणिज्य संकाय र्वे विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। हींकी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों की विद्वान संकाय अधावा बी.एस.सी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जार्थेगा।

रनातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण, आवेदको को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर

विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

रनातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

- बी.कॉम. / बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. रनातक परीक्षा उस्तीर्ण आवेदकों को कमशः (事) एम कॉम / एम एस सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बीएस सी उत्तीर्ण आवेदकों को एमएस-सी/एमए-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। जपरोक्त कें भतिरिक्त अहींता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अईता ही बंधनकारी होंगे।
- रनातकोत्तर प्रथम वर्ष जत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पावता होंगी। सेमंस्टर पद्धति की, पूर्व अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- रनातकोत्तर कक्षाओं हेतु एटी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :--
 - रनातकोलार प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों की प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 - 2. स्नामकोत्तार मृतीय संमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Alloymache Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आदेदकों को अगले रोमेस्टर में प्रार्टिक क्षे की पात्रता होगी।

Principal GovLEklavya Collage OpndiLohara Diett.Balod (C.G.) विधि संकाय नियमित प्रवेश :--

 (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आचेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रयेश की

ार्धित होगी।

एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एव एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल एल बी. हितीय सेमेस्टर एवं एल एल एम. हितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की वही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रदेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--

"विधि रनांतक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यून्तम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडी वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नालकोत्तर पूर्वोद्व में 55% अक (अनसूचित जनजाति./ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाट्यक्रमी में प्रवेश / संजालन पर संबंधित संस्था के प्राक्थान प्रभावी होंगे।

समकक्ष परीक्षा :--

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.). इंडियन कौसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालपों / इटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं मध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

सामान्यतः भारत में रिथत विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ 62 यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पर आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐस संस्थाओं से डिग्नी/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होंगा।

सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची ए विश्वविद्यालय अनुदान आयौग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विही विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य कि की जानकारी प्राचार्य सम्ब

विश्वविद्यासमा से प्राप्त करें।

6.4

Legicational Qualitiesipal वर्ष 2012 में प्रारंग किए गए एनवीईस्प्राएफ (National) ·) के धनर्गन जन्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविधालय मिल्ल्स्स्<mark>राह्मवान्यास्थानान्यास्थानान्यास्थानान्य</mark> के पाठयक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमाव 1-52 / 2013(सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संस्थाना (एनएसानगृएक) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावरतियक शैक्षिक अर्हता संरचना (एमडोइंपयूएफ) में सूब्रवद्य किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएअक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह ा से 10 रतर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पन्न उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पन्न स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गर्थ एनवीईययूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डी द्वारा छात्री हो पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य / संतरतरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसव्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित रत्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विध्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्तातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय के वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को सैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7 वाह्य आवेदकों का प्रवेश:-

रनातक स्तर तक बीए /बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू हाने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आहेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 कितीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्थांसी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम द्वितीय, तृतीय सेमेस्ट्र परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्ही विषयों/विषय समृह की अगली कक्षा में नियमित प्रदेश दिया

जावे।

Principal
Govt.Eklavya Collage
Dondil.chara.Distt.Balod (C.G.)

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य क आवेबको हारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय को भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुक्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमित प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

- ह्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- ह रनातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 6.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों, को अगसी कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पाचता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कॅडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अख्यायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुन्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- १ 🗸 प्रवेश हेत् अर्हताएं :-
- किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/ वर्षों में पुन नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शमथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्त्र में छान्नों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साध दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छान्न/छानाओं को प्रयेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- भहाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संक्रिक्ट करने वाले / रेगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश पूर्व क्या के हिल् प्राचार्य अधिकता है। Principal पालार्य इस हेत समिति गठित कर जींच करवायें एवं जींक स्टब्सेंड के आधार पर प्रवेश Ellerore Collage

क्या जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छलीसगढ़ संज्य के किसी भी शासकाय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

3.4 🗸 प्रवेश हेत् आय्—सीमा :--

रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर प्रथम संमेरटर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदको को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदिस वर्ष के एक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

- आयु सीमा का बधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यातय (13) तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजिल अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेलु मेजे गर्भ छात्रो अथवा चिदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुदा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है। (17)
- संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकौत्तर प्रथम (11) समस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- विधि संकाय की छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा धर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय संवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में 95 लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के वाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- किसी सकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकार्यों के स्नातक पाड्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :--10.
- उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा। 10.1
 - स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अईकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिमार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग—अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

प्रदेश हेतु प्राथमिकता :-

स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्रार्था किता 📆 अंड्रीर, अर्हकारी परीक्षा के प्रम्तांक के अधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

Principal

GovLEklavya Collage DondiLohara Diett Balod (C.G.)

नातक / रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण - नियमित / उत्तीर्ण गूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी

113 विदि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाल काल्रों की प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठयकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविधालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा चन्तीर्ण कूरने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :--Total Contract of the Contract

अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्धिक अनुज्ञान संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्श्वित रहेंगी 132 % ST

अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुङ्गप्त संख्या में से बारह प्रतिज्ञा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी। 12% SC

अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुजान संख्या में से वीदह प्रतिशत् पृर् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों कं०८८ लिए आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में रो

अपन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहीं खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण 122 (1) उध्वीधर (वटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, मूहापूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आएकण क (2) प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम व प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा किक क, 12.1 के खण्ड (क) (ख तथा (ग) के अधीन यथारिथति, उद्योधर आरक्ष्य क्रिक्तिते होगा।

्रस्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पृतियों, पौत्र नाती विस्ति हो नाती विस्ति हो प्राप्त देखें। ---- नाजभित रहेंगे। नि.शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रति

राभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अरिक्षित क्षेणी वन कोई उम्मीदिवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन कामीटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है. तो आरक्षित श्रेणी की सीट यहावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसी विद्यार्थी किसी संवर्ग चीसे— स्वतंत्रता समाम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ण की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी श्रेष सक्ये की सीट भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट बृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
कांडका 12.1 में दशाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यथीन रहेगा।

npflut ितंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अधौरिटी विरूद भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनाक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि — "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कहाई से पालन किया जाए।

अधिभार :-

127

12.8

129

13

अधिमार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेनु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिमार देय होगा अधिमार हेतु समस्त प्रपाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्री पर अधिमार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिमार प्राप्त होने पर मान्य सर्वाधिक अधिमार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

रकाउट्स शब्द को स्कास्ट्स/माइड्स/रेन्जर्स/रोक्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

(ख) एन एस,एस. / एन.सी.सी ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

म) भी वर्टिफिकेट या नृतीय सोमान उत्तीर्ण स्कार्स्ट्रिल

कि राज्य स्तरीय वंजालनावयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिती

02 प्रतिशत -03 प्रतिशत

-U3 AIGRIG

०४ प्रतिशत

Principal

()4 WINTERCOVLENIANYA Collage

Dondi Lohara Distr Balod (C.G.)

M.

- लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अतर खेलकूद / साहित्यक / सास्कृ जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
 - प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (क)
 - व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (89)
 - उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तिसभाग राज्य स्तर अधवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तिक्षेत्रीय, (2) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अधवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
 - प्रथम, द्वितीयं, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 💮 🛚 🕫 प्रतिशत व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे जपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (年)
 - **(语)**
 - संमाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को [17]
 - भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आपोजित, संसदीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा (3) आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -१५ प्रतिशत
 - व्यवितगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, वृतीय स्थान प्राप्त (西) 12 प्रतिशत करने वाले को
 - (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय प्राप्त क्रिजित करने वाली टीन

क सदस्यों की

भार का प्रतिनिधिता कर

रहा एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्बरल 10 प्रतिशत ५ (वस बेज प्रोग्राम के तहत् विद्यान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ हला क्षेत्र में संयमित एवं प्रवास करने वाले वल के सदस्यों को स्यक्तीसमद्ध शासन् / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संधी द्वारा आयोजित सष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(a) उत्तीसमङ्ग्रमप्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के

सदस्य की

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीग के सदस्यों को

12 प्रतिशत

जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को

01 प्रतिशत

विशेष प्रोत्साहन :-£ 13.7

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी /खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केंडेट्स तथा ओलन्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता मे माग लंगे वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में सीध प्रवेश दिया जाए जिनकी तन्हें पात्रता है कि :--

इस प्रकार के प्रमाण-पन्नों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा अभिप्रमाणित किया गवा हो, एवं

यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अतर्गत अपना अभ्यादेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए जन्हें उपलक्षि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले बार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

/ सकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

रनातक / रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के सकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिमार घटे हुये पाप्ताकों पर देस होगा। महाविद्यालय में स्नातक /स्ना<u>तको</u>त्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्त्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा पुरिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रयेश की अतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके अपनिक संबंधित विषय सिकाय की मूल गुणानुकम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाल विद्यार्थी (हू(स्टिंड)) उससे आंधेक हो।

GovLEklavya Collage DondiLohara Diett.Balod (C.G.) 15. श्रीक्ष चन्न — कान्य पर वहर्गतिधास्तयों में पीएयाडी के शांध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। इस्तातालय / प्राथितिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशसा पर प्राथित हस समयादि को अधिकतम अ यां कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन पत्रेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही निर्धारित प्रवेश मान्य किया करेगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही निर्धारित प्रवेश मान्य किया जावना। शांघ छात्र के लिये सब्धित विश्वविद्यालय द्वारा पीएच—डी. निर्धेशन हेतु महाविद्यालय में पदस्य मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा विधारित निर्मा के अंतर्गत की अध्यान अध्यान अध्यान खारा विधारित निर्मा के अंतर्गत की अध्यान अध्यान अध्यान अध्यान स्थान कोई शिक्षक यदि शांघ छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपिथिति प्रमाण—पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रमति रिपोर्ट प्रांप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

नहाविद्यालय ने प्रदेश प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की विधान में अंदेश कांच एसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन एवं अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

ा६ विशेष :-

16.1 जाली प्रमाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवण यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमित या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिथत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य

कां शेवा।

16.3 प्रवेश के बात सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में बर्णित अनुशासनहींनता के प्रकरणों में लिएत विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दीरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की रिथति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अति^{रि}टन

अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

18.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धातों के स्पष्टीकश्य या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमन देते हुए स्पष्टीकश्य/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, राथपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संवर्ध किसी भी प्रकरण की केवल अग्रेपित लिखकर प्रीपित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उठलेखिन प्रायधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उठ शिक्षा विभाग को है। इन भागदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निएस/अस्थिन का सपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

Principal
GovLEklavya Collage
Dondil Johana Dista Balod (C